

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04-11-2020

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी तरीके से जमानत कराने वाले 03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

जमानत तस्दीक के प्रपत्र व 04 मोहर बरामद:-

अवगत कराना हैं, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नकुड़, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04-11-2020 को थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा शहरी पुलिसिया से 03 शातिर अभियुक्त 1-समयपाल पुत्र पाल्लूराम निवासी मौ0 पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर 2-राजकुमार पुत्र मंगूराम निवासी मौ0 पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर 3-कंवर सेन पुत्र रामकला निवासी कोलकी कला थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर को जमानत तस्दीक के फर्जी प्रपत्र (विभिन्न व्यक्तियों के) व 04 मोहर सहित समय 10:25 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वह अपने 02 साथी जोगेन्द्र व राजकमल वकील के साथ मिलकर जेल गये लोगों से मोटी रकम तय करके उनकी जमानत कराने का ठेका लेते हैं और कोर्ट से जमानत के कागज तैयार कराकर कोर्ट से प्राप्त करके इसी तरह फर्जी तस्दीक तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर देते हैं। इसीलिये गिरफ्तार अभियुक्तों ने मोहर बनवा रखी हैं तथा बरामदा प्रपत्र को आज कोर्ट में दाखिल करने थे, कि पुलिस द्वारा पकड़े गये। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं। जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही हैं। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 349/2020 धारा 420,467,468,471 भादवि पंजीकृत किया गया हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-समयपाल पुत्र पाल्लूराम निवासी मौ0 पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 2-राजकुमार पुत्र मंगूराम निवासी मौ0 पठानपुरा मल्हीपुर थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 3-कंवर सेन पुत्र रामकला निवासी कोलकी कला थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-जमानत तस्दीक के फर्जी प्रपत्र।
- 2-04 मोहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-श्री कुलदीप सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 2-व0उ0नि0 श्री सुरेश कुमार, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री आदेश पांचाल, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।
- 4-का0 1055 अशोक कुमार, थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04-11-2020

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटर साइकिल, चाबी, फर्जी नम्बर प्लेट

व अवैध असलहा / कारतूस बरामद:-

अवगत कराना हैं, कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04-11-2020 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर प्रीत बिहार के आगे होटल के पास से 03 शातिर अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ चोरी की 04 मोटर साइकिल, 03 चाबी, 01 फर्जी नम्बर प्लेट, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस सहित समय 10:20 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई हैं। जबकि गिरफ्तार अभियुक्तों के 02 अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 253/2020 धारा 307,411,414,420,465,467,468,471 भादवि व मु0अ0सं0 254/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-गुलशेर पुत्र स्व0 शकूर निवासी चकरहेटी थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 2-मोनू पुत्र साधुराम निवासी ग्राम पीरमाजरा थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।
- 3-नीटू पुत्र जातीराम निवासी ग्राम शब्बीरपुर थाना बड़गांव, सहारनपुर।

फरार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-शुभम पुत्र नाथीराम निवासी ग्राम जगेता थाना नकुड़, सहारनपुर।
- 2-राहुल पुत्र नामालूम निवासी ग्राम टोली थाना नकुड़, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।
- 2-चोरी की एक अद्द हीरो स्पलेण्डर मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 बीएन-6918 (फर्जी नम्बर) (सम्बन्धित मु0अ0सं0 251/2020 धारा 379 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर।)
- 3-चोरी की एक अद्द हीरो स्पलेण्डर प्लस मोटर साइकिल बिना नम्बर की।
- 4-चोरी की एक अद्द बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल नं0 एचआर 71सी-1461।
- 5-चोरी की एक अद्द हीरो होण्डा मोटर साइकिल नं0 एचआर 02 एई-6558।
- 6-03 चाबी मोटर साइकिल की।
- 7-01 फर्जी नम्बर प्लेट।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से मोटर साइकिलों को चोरी कर लगे अपनी मजबूरी बताकर बेच देते हैं तथा बरामदा मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 बीएन-6918 को कुछ पहले थाना जनकपुरी क्षेत्र में स्थित अस्पताल के सामने से चोरी करना स्वीकार किया है, जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 251/2020 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं तथा अन्य मोटर साइकिलों को भी अलग-अलग स्थानों से चोरी करना स्वीकार किया है। बरामदा मोटर साइकिलों के बारे में जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं। जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है। अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री बी0के शर्मा, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री बीनू सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 4-का0 681 गुलनवाज, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 5-का0 424 गौरव कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
- 6-का0 1005 सुभाष कुमार, थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

प्रेस नोट थाना नकुड जनपद सहारनपुर दिनांक 04.11.2020

थाना नकुड पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे चैकिंग अभियान व गिरफ्तारी अभियुक्तगण अभियान के अन्तर्गत दिनांक 04.11.2020 को 03 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है | जिनका विवरण निम्नवत है -

1. उ०नि० शाहनवाज अहमद मय का० प्रवीण मय का० 946 अंकित धामा द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त गण 1036 0 1. हरीराम पुत्र राधेश्याम निवासी जम्मू कालोनी यमुनानगर थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा 2. शुभम पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम जम्मू कालोनी यमुनानगर थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा को बस स्टैण्ड कस्बा नकुड से समय 06.40 बजे मय स्प्लेंडर मोटर साइकिल नं० HR 02 AM - 8295 के गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त गण के कब्जे से 07 - 07 ग्राम स्मैक बरामद हुई है जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०487 अ०सं०00/2020 धारा **8/21 NDPS ACT** बनाम हरीराम पुत्र राधेश्याम निवासी जम्मू कालोनी यमुनानगर थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा व मु०488 अ०सं०00/2020 धारा **8/21 NDPS ACT** बनाम शुभम पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम जम्मू कालोनी यमुनानगर थाना फरकपुर जिला यमुनानगर हरियाणा पंजीकृत कर अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है

अभियुक्त फोटो - हरीराम



अभियुक्त फोटो - शुभम



2. उ नि० श्री अजयवीर सिंह को मय का० 1138 अरुण पवार मय का० 742 मनीष तोमर०द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के दौरान मु०अ०सं० 4720/धारा 323 2020/325/भा.द.वि 506 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मोनू खारी पुत्र रामजस निवासी ग्राम जैनपुर थाना नकुड जिला सहारनपुर को अभियुक्त के मसकन से समय करीब 04.45 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है |

अभियुक्त फोटो - मोनू खारी



प्रेस विज्ञप्ति

अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित एवं राजस्व/न्यायिक), सहारनपुर द्वारा गुण्डा एक्ट में दोषी पाते हुये 12 अभियुक्तों के विरुद्ध की गई जिला बंदर की कार्यवाही:-

अवगत कराना हैं, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित एवं राजस्व/न्यायिक), सहारनपुर द्वारा 12 अभियुक्तों को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुये जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया हैं। निष्कासित किये गये अभियुक्तों को विवरण निम्नवत् हैं:-

- ❖ प्रवेश कुमार पुत्र जगदीश निवासी खजूरी अकबरपुर थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- ❖ सोनू पुत्र प्रेम निवासी ग्राम रणमलपुर थाना नागल, सहारनपुर।
- ❖ आकिल पुत्र जुबेर निवासी ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेड़ी, सहारनपुर।
- ❖ बिलाल पुत्र मुन्ना निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर, सहारनपुर।
- ❖ बाबू उर्फ तीरथपाल पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम गदरहेड़ी थाना सरसावा, सहारनपुर।
- ❖ नरेन्द्र पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना सरसावा, सहारनपुर।
- ❖ नसीम उर्फ कल्लू पुत्र फजलूरहमान निवासी ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- ❖ नौशाद पुत्र शहीद निवासी ग्राम नथमलपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- ❖ जय सिंह पुत्र रामदास निवासी ग्राम नल्हेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- ❖ आकिल पुत्र मूदा निवासी ग्राम दभेड़ा कलां थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- ❖ वसीम उर्फ सोनू पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।
- ❖ शाहबाज उर्फ टोनी पुत्र इकराम निवासी ग्राम दुमझेड़ा थाना चिलकाना, सहारनपुर।